आदर्श महाविद्यालय, उमरगा
5, 6 फरवरी 2010

(09) 2017-18 to 2022

Gadsing madam

घरेलू हिंसा : समस्या और उपाय

हिंसा की वृति उतनी ही पुरानी है जितना की मनुष्य समाज । महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएँ बाहरी दूनियाँ में कदम रखने से पहले घर में ही शुरू हो जाती है । लेकिन भारतीय समाज आज भी घरेलू हिंसा को एक समस्या के रूप में न देखकर किसी भी परिवार का निजी मामला समझता है । भारतीय समाज में व्याप्त ऐसी अनेक परम्पराएँ, प्रथाएँ और विश्वास है जो स्त्री विरोधी भूमिका निभाते है । इसीलिए पती द्वारा पत्नी को अपशब्द कहना, पीटना आदि, समाज को जिस तरह गैर वाजिब नही लगता उसी प्रकार पत्नी भी इसे पती का अधिकार मानती है । पारिवारिक समस्याओं से उत्पन्न तनाव में स्त्री ही घरेलू हिंसा का शिकार होतीं है। फिर चाहे वह स्त्री अशिक्षित, आर्थिक दृष्टि से कमजोर या निम्नवर्ग की हो या सुशिक्षित मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग की अर्थ-संपन्न या स्वावलंबी स्त्री हो । इसका यह आशय कदापि नहीं है कि सभी महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार होतीं है । लेकिन निश्चय ही आज की नारी के सामने यह एक बडा आव्हान है ।

घरेलू हिंसा केवल शारीरिक ही नही भावनिक, लैंगिक और आर्थिक स्वरूप की भी है । स्त्री को पीटना, भूखा रखना,क्रूरता पूर्ण व्यवहार करना, गालियाँ देना, दूसरों के सामने अपमानित करना, उसकी संपत्ति या पैसों की मांग करना, उसके चरित्र पर शक करना, जबरदस्ती गर्भपात कराना या गर्भधारणा करवाना, पतिद्वारा जबरन् लैंगिक संबंध रखना या दूसरे व्यक्ति से लैंगिक सम्बन्ध रखवाना, स्वावलंबी स्त्री के पैंसो पर अपना अधिकार जताना, या नियंत्रण रखना, घर के सभी आर्थिक व्यवहारों से उसे अनभिज्ञ रखना, बच्चों के साथ मारपीट करना या बच्चों को माँ से अलग करने के प्रयास करना आदि घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आते है ।इनके अतिरिक्त संतान न होना या पुत्रवती न होना, पती की पसंद के विपरित यदि उसका विवाह हो तो भी पत्नी को ही हिंसा सहनी पडती है । भारत में ' महिला सक्षमीकरण वर्ष ' के उपलक्ष्य में पहली बार ' राष्ट्रीय महिला नीति ' लागू की गई । इसी के अंतर्गत १३ दिस, २००५ को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम २००५ भारत सरकार द्वारा पारित किया गया । जिसके अनुसार धारा ५ के अधीन उसे अधिकार दिया गया है कि अधिकारो, अनुतोष के बारे में संरक्षण अधिकारी से सेवा प्राप्त कर सके । संरक्षण अधिकारी की सहाय्यता और सेवा प्रदाता या निकटतम पुलिस थाने मे पीडित महिला शिकायत दर्ज कर सकें ।

Principal
Jawahar Arts, Science & Commerce College
Anadur, Tal. Tuljapur, Dist. Osmanabad.

धारा ८ और १० के अधीन अनुतोष के लिए आवेदन कर सके। धारा १८ के अंतर्गत घरेलू हिंसा के कृत्यों से स्वयं और अपने बच्चों के लिए संरक्षण प्राप्त कर सके। संभावित खतरो या असुरक्षा के लिए पीडित महिला व उसके बच्चे के सरंक्षण के लिए उपाय और आदेश प्राप्त कर सकती हैं। इस अधिनियम के अधीन धारा १८ के अनुसार पीडित महिला अपने धन, आभूषण, कपडे, दैनिक उपयोग की वस्तुओं को वापस अपने कब्जे में ले सकती है। धारा ६,७,९ तथा १४ के अधीन चिकित्सीय सहायता, आश्रय परामर्श और विधिक सहायता प्राप्त कर सकती है। धारा १ के अधीन घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्ति को उससे सम्पर्क करने या पत्र व्यवहार करने से रोक सकती है। धारा २२ के अधीन घरेलू हिंसा में हुई शारीरिक या मानसिक क्षति या अन्य वित्तिय नुकसान के लिए प्रतिकार किया गया है। अधिनियम की धारा १२,१८,१९,२०,२१,२२ और २३ के अधीन शिकायत या किसी न्यायालय के सीधे हस्तक्षेप के लिए भी आवेदन क्रिया जा सकता है। घरेलू हिंसा के संबंध मे किसी प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किसी कथन की प्रतियाँ प्राप्त की जा सकती है। पुलिस संरक्षण या अन्य संरक्षण अधिकारी की सहायता पाने का अधिकारी उस पीडित महिला को दिया गया है। यह अधिनियम महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए किया गया ठोस और व्यावहारिक प्रयास है। घरेलू हिंसा की शिकार महिला २० से लेकर ६० वर्ष तक की उम्र की होती है।

घरेलू हिंसा प्रतिबंधक कानून ने महिलाओं को संरक्षण तो दिया है लेकिन न्याय पाने के लिए उसका पहला कदम उठाना जरूरी है। यह सोचकर की घर की बात बाहर क्यों कही जाए ? घर की इज्जत का क्या होगा? लोग मुझे ही दोषी कहेंगे? मायके वालों को तकलीफ होगी ? मेरे बाद बच्चों का क्या होगा ? परित्यक्ता को समाज में हीन स्थान है -- महिलाएँ अन्याय को सहती है। अत्याचार के विरोध में आवाज नहीं उठाती। लेकिन यह बात हमें ठीक से समझ लेनी चाहिये की घरेलू हिंसा किसी का निजी मामला न होकर एक गंभीर सामाजिक अपराध है। समाज को भी चाहिये कि अलिप्तता त्याग कर वह भी अपराधी को दंडित करने में सक्रिय योगदान दे। क्योंकि घरेलू हिंसाचार में जरूरी नहीं है कि पीडित महिला ही शिकायत दर्ज करें। अपने आस-पडोस में यदि इम ऐसी घटना देखते है तो फौरन शिकायत दर्ज करा सकते है। शिकायत दर्ज करने के लिए शासकीय अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी , प्रांत अधिकारी, बीडीओ, संरक्षण अधिकारो, पुलिस, स्वयंसेवी संस्था, विधी और न्यायसेवा प्राधिकरण जैसे अनेक पर्याय उपलब्ध है। यह दिवानी कानून है अत : पीडित महिला को शीघ्र ही मदद उपलब्ध हो जाती है।

Principal
Jawahar Arts, Science & Commerce College
Anadur, Tal. Tuljapur, Dist. Osmanabad

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम सख्ती से लागू किया जाना चाहिये । विशेषतौर पर ग्रामीण और अशिक्षित महिलाओं को इस कानून और इसकी विविध धाराओं की पूरी जानकारी दी जानी चाहिये । पुरूषों की मानसिकता में बदलाव के प्रयास किये जाने चाहिये । विधिक सहायता निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिये । स्वालंबन और शिक्षा स्त्रीयों कों सक्षम बना सकते है । स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है । लेकिन पहला दयित्व है पीडित महिला का । उसे अन्याय- अत्याचार के विरूध्द पहला कदम बढाना पडेगा और फिर वह देखेगी कि

' लोग साथ आते गये
कारवाँ बनता गया ।'

डॉ.मीना जाधव
प्रा.सौ.गडसिंग एम.एन.
प्रा.सौ.भारती एस. आर.
जवाहर महाविद्यालय, अणदूर
ता.तुळजापूर,जि.उस्मानाबाद

Principal
Jawahar Arts, Science & Commerce College
Anadur, Tal. Tuljapur, Dist. Osmanabad.